



राजस्थान-सरकार
कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302001

क्रमांक:-प-5(3)एनएमओओपी/एमएम-III/2016-17/2567-73

दिनांक:- 11.08.16

उप निदेशक कृषि (वि.),
जिला परिषद, श्रीगगांनगर, बीकानेर, नागौर,
चूरु, हनुमानगढ, जैसलमेर, झुझुंनू।

विषय :- राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर जोजोबा के पौध रोपण के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर जोजोबा पौध रोपण कार्यक्रम के लक्ष्य एवं दिशा-निर्देश निदेशालय के पत्र क्रमांक 338-385 दिनांक 04.05.2016 द्वारा जारी किये गये हैं। इस वर्ष मानसून की अच्छी स्थिति के मध्यनजर तथा जोजोबा की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एजोर्प संस्था के अतिरिक्त उद्यान विभाग में रजिस्टर्ड नर्सरीयों से कृषकों द्वारा सीधे ही पौधे क्रय कर पौध रोपण करने पर भी सम्बन्धित कृषकों को विभागीय प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा। निजी नर्सरीयों द्वारा जोजोबा के पौधे एजोर्प द्वारा निर्धारित दर पर ही किसानों को FOR फार्मर फिल्डस तक आपूर्ति किये जायेंगे। इस प्रकार किये गये पौध रोपण का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन सम्बन्धित उपनिदेशक कृषि के कार्यालय द्वारा तथा रेण्डम 10 प्रतिशत क्षेत्र का भौतिक सत्यापन मुख्यालय स्तर से किया जाना आवश्यक होगा।

जोजोबा के पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पौधे आपूर्ति करने वाली नर्सरीयों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार मुख्यालय स्तर से गठित समिति द्वारा किया जाना आवश्यक है। मुख्यालय स्तर से गठित समिति में एक प्रतिनिधी एनएमओओपी शाखा से, एक प्रतिनिधी एजोर्प संस्था से एवं सम्बन्धित जिले के उपनिदेशक कृषि सम्मिलित होंगे।

(एम.एल. सालोदिया)
अतिरिक्त निदेशक, कृषि (एनएमओओपी)